न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1068 / 2025

अनवान : –

1. निरंजन नेहरा पुत्र सुरेन्द्र पाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– **वादी**

बनाम्

1. सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 264 / 259 के ख.न. 248 की 1.8970 हैक्टर भूमि तथा रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 265 / 258 के ख.न. 250 की 4.4260 हैक्टर भूमि ख.न. 252 की 1.0750 हैक्टर भूमि ख.न. 253 की 3.9200 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 9.4210 हैक्टर भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 284 / 268 के ख.न. 47 की 2.1620 हैक्टर भूमि ख.न. 48 की 1.8970 हैक्टर ख.न. 82 की 1.7830 हैक्टर भूमि, ख.न. 83 की 3.6040 हैक्टर कुल 4 खसरेजात की 9.4460 हैक्टर भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 श्योचन्द पुत्र धन्नराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता सं. 350 / 347 के ख.न. 325 / 4 की 3.7940 हैक्टर भूमि ख.न. 563 की 563 की 2.4030 हैक्टर भूमि ख.न. 564 की 2.5550 हैक्टर भूमि ख.न. 611 की 7. 6760 हैक्टर भूमि कुल 4 खसरेजात की 16.4280 हैक्टर मे से 1 / 6 हिस्सा के प्रतिवादी सं. 1 छिन्द पुत्र गुडडी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के द्वारा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्योचन्द पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर दिनांक 18 / 03 / 2012 को अपने घर से ग्राम थालड़का में रिश्तेदारी में जाने के लिए कहकर आए इसके वाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने आजतक इधर–उधर अपनी रिश्तेदारी में व आस–पडौसी के गावो में तलास किया तथा पुलिस थाना में गुम शुदगी की रिर्पोट भी दर्ज कराई परन्तु वादी व प्रतिवादी सं. 1 व पुलिस द्वारा व रिश्तेदारो द्वारा ढुढने पर आजतक नही मिले तथा अपनी आखो से आजतक ना ही किसी ने देखा ना ही उनके बारे में कही सुना उन्हें गायब हुवे 13 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उनके 7 वर्ष से अधिक समय से गायब होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत उनकी सिविल डेथ मानी जावेगी। श्योचन्द पुत्र धन्ना की सिविल डेथ होने से वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी ब.हि.ब. का खातेदार है चूंकि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वादी उक्त वाद भूमि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 264 / 259 के ख.न. 248 की 1.8970 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 265 / 258 की कुल 3 खसरेजात की 9.4210 हैक्टर भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि एवं

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 284/268 की कुल 4 खसरेजात की 9.4460 हैक्टर भूमि में 1/8 हिस्सा भूमि जो कि श्योचन्द पुत्र धन्ना के नाम दर्ज में वादी व प्रतिवादी ब.हि.ब. अर्थात 1/2,1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता सं. 350/347 की कुल तादादी 16.4280 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम सरेन्द्रपाल के स्थान पर छिन्द्र पुत्र गुडी दर्ज है जो छिन्द्र के स्थार पर सुरेन्द्रपाल करवाकर उसके 1/6 हिस्सा में भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के अर्थात 1/2,1/2 हिस्स भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड से श्योचन्द वल्द धन्ना व छिन्द्र पुत्र गुडी के नाम कलम्जन करवाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उपरोक्त आशयो की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 264/259 के ख.न. 248 की 1.8970 हैक्टर भूमि जो श्योचन्द वल्द धन्नाराम के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं इसी प्रकार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 265/258 की कुल 3 खसरेजात की 9.4210 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि श्योचन्द वल्द धन्नाराम के नाम दर्ज है, रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 284/268 की कुल 4 खसरेजात की 9.4460 हैक्टर भूमि में 1/8 हिस्सा भूमि जो कि श्योचन्द पुत्र धन्ना के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता सं. 350/347 की कुल तादादी 16.4280 हैक्टर भूमि में छिन्द्र पुत्र गुडी 1/6 हिस्सा दर्ज में छिन्द्र पुत्र गुडी का नाम कलमजन करके उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. अर्थात 1/2, 1/2 हिस्स भूमि के खातेदार काश्तकार दज करवापाने के अधिकारी है अर्थात श्योचन्द व छिन्द्र का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया की उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो की वादी स0 1 का दादा व प्रतिवादी स0 1 का पिता है। वादी के द्वारा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्योचन्द पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर दिनांक 18/03/2012 को अपने घर से ग्राम थालड़का में रिश्तेदारी में जाने के लिए कहकर आए इसके वाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने आजतक इधर–उधर अपनी रिश्तेदारी में व आस–पडौसी के गावो में तलास किया तथा पुलिस थाना में गुम शुदगी की रिर्पोट भी दर्ज कराई परन्तु वादी व प्रतिवादी सं. 1 व पुलिस द्वारा व रिश्तेदारो द्वारा ढुढने पर आजतक नही मिले तथा अपनी आखो से आजतक ना ही किसी ने देखा ना ही उनके बारे में कही सुना उन्हें गायब हुवे 13 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उनके 7 वर्ष से अधिक समय से गायब होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत उनकी सिविल डेथ मानी

जावेगी। श्योचन्द पुत्र धन्ना की सिविल डेथ होने से वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी ब.हि.ब. का खातेदार है चूंकि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वादी उक्त वाद भूमि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 264/259 के ख.न. 248 की 1.8970 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 265/258 की कुल 3 खसरेजात की 9.4210 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 284/268 की कुल 4 खसरेजात की 9.4460 हैक्टर भूमि में 1/8 हिस्सा भूमि जो कि श्योचन्द पुत्र धन्ना के नाम दर्ज में वादी व प्रतिवादी ब.हि.ब. अर्थात 1/2,1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता सं. 350/347 की कुल तादादी 16.4280 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम सरेन्द्रपाल के स्थान पर छिन्द्र पुत्र गुडी दर्ज है जो छिन्द्र के स्थार पर सुरेन्द्रपाल करवाकर उसके 1/6 हिस्सा में भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के अर्थात 1/2,1/2 हिस्स भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड से श्योचन्द वल्द धन्ना व छिन्द्र पुत्र गुडी के नाम कलम्जन करवाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उपरोक्त आशयो की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है एवं प्रतिवादी स0 1 करीब 13 वर्ष लापता हो चुके है जिसकी वादी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट की दर्ज करवायी गयी है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत किसी व्यक्ति को लापता/गायब हुए 7 वर्ष से अधिक का समय होने पर सिविल डेथ मानी जावेगी लेकिन न्यायालय हाजा को सिविल डेथ का अधिकार नही है वादी सक्षम न्यायालय में प्रतिवादी स0 1 की सिविल डेथ घोषित करवाकर वाद पेश करे वादी सिविल डेथ के कथनों के आधार पर न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ..25/05/26.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1068/2025
अनवान : –

1. निरंजन नेहरा पुत्र सुरेन्द्र पाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1068 सन 2025 निर्णय दिनांक 25/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर